# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर राज0

बईजलास – श्री शक्ति सिंह भाटी आर.ए.एस.

नामान्तकरण अपील संख्या 01/2019

अपीलान्ट – भंवर कंवर पत्नि रधुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी देवली खुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

बनाम

रेस्पोडेन्ट – 1. नन्दू कंवर पत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी देवली खुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर राज0
2. तहसीलदार परबतसर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत खोखर।
4. भू–अभिलेख निरीक्षक मंगलाना।
5. पटवारी हल्का खोखर।

**नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

दिनांक – 11.02.19

–:: आदेश ::–

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह नामान्तकरण अपील विरूद्व रेस्पोडेन्ट पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम देवली खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नंबर 74 रकबा 0.6866 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 74/1 रकबा 0.3434 हैक्टेयर जमीन आई हुई है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त जमीन का रजिस्टर्ड बेचान से खरीद की थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 ने दोनो बैचान दस्तावेज दिनांक 04.11.2016 का सही अवलोकन नहीं किया एवं गलत खातेदारी इन्द्राज कर दिया। मूल खसरा नंबर 74 के दक्षिणी दिशा का हिस्सा रकबा 0.6866 हैक्टेयर का बेचान अपीलान्ट भंवर कंवर को किया गया था तथा मूल खसरा नंबर 74 के उत्तर दिशा का रकबा 0.3434 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नन्दू कंवर को बैचान किया गया था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 ने बंटवारा के साथ खातेदारी भी गलत दर्ज कर दी। बंटवारा व तरमीम के बाद खसरा नंबर 74 की जमीन की खातेदारी अपीलान्ट भंवर कंवर के नाम की जानी चाहिये थी तथा खसरा नंबर 74/1 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नन्दूकंवर के नाम की जानी चाहिए थी। अत+ नामान्तकरण संख्या 95 अपास्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण गलत भरे जाने की जानकारी दिनांक 02.01.2019 को तब हुई जब हल्का पटवारी के पास जमाबन्दी की नकल लेने हेतु गये जिससे यह अपील प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 95 ग्राम पंचायत खोखर निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट भंवर कंवर के पक्ष में खसरा नंबर 74 रकबा 0.6866 हैक्टेयर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खसरा नंबर 74/1 रकबा 0.3434 हैक्टेयर जमीन की खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2,4,5 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 स्वयं उपस्थित मगर कोई एतराज पेश नहीं किया है।

हमने उपस्थित पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में ग्राम देवली खुर्द के खसरा नंबर 74 रकबा 0.6866 की खातेदारी नन्दु कंवर पत्नी हनुमानसिंह राजपूत के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नंबर 74/1 रकबा 0.3434 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी भंवर कंवर पत्नी रूधनाथसिंह राजपूत के नाम दर्ज है। प्रस्तुत बैचाननामा दिनांक 04.11. 2016 का अवलोकन किया गया। विक्रेता भंवरसिंह उर्फ पपूसिंह पुत्र उगमसिंह, प्रदीपसिंह, कुलदीपसिंह पि0 मूलसिंह, दीपूकंवर पुत्री मूलसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता प्रेमकंवर पत्नि मूलसिंह, प्रेमकंवर पत्नि मूलसिंह, सूरजकंवर पत्नि उगमसिंह, भंवरकंवर, संतोषकंवर, छीगनकंवर पुत्रियां उगमसिंह सभी राजपूत निवासी देवली खुर्द के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम खोखर के खसरा नंबर 74 रकबा 1. 03 हैक्टेयर भूमि में से 0.6866 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ की भूमि क्रेता भंवर कंवर पत्नि रधुनाथसिंह जाति राजपूत के पक्ष में बैचान किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा खसरा नंबर 74 रकबा 1.03 हैक्टेयर में से 0.6866 हैक्टेयर भूमि खरीदी गई है। इसके अलावा शेष भूमि खातेदारान के द्वारा नन्दूकंवर पत्नी हनुमानसिंह के पक्ष में बैचान किया गया है। उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 95 ग्राम देवली खुर्द ग्राम पंचायत खोखर में खातेदारी दर्ज की गई है जिसमें रकबा 0.3434 हैक्टेयर की खातेदारी भंवर कंवर के पक्ष में तथा रकबा 0.6866 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी नन्दूकंवर के पक्ष में दर्ज की गई है जो गलत है। अपीलान्ट भंवर कंवर के द्वारा रकबा 0.6866 हैक्टेयर भूमि एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रकबा 0.3434 हैक्टेयर भूमि क्रय की गई थी। इस प्रकार बैचान दस्तावेज के आधार पर दर्ज नामान्तकरण में त्रृटि रही है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जानी न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी कोई एतराज पेश नहीं किया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खोखर के द्वारा स्वीकृत राजस्व ग्राम देवली खुर्द पटवार हल्का खोखर के खसरा नंबर 74 एवं

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

74/1 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर का नामान्तकरण संख्या 95 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार परबतसर को रिमाण्ड किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि बैचान दस्तावेजात के आधार पर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार परबतसर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शक्ति सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर (नागौर)